# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

## पीठासीन अधिकारी अभिषेक गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/ 15/19 [illegible]

दायर दिनांक 3/5/19

**उनवान**

1. बाबु लाल पिता अमरा जाति मेघवाल निवासी मेडता तहसील मावली जिला उदयपुर।

**प्रार्थी।**

**बनाम**

1. उंकार लाल पिता खुमाण जाति सालवी निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. वन्दना पिता नाथु लाल जाति दाधिच निवासी खरताणा तहसील मावली जिला उदयपुर।
3. तुलसीराम पिता टेका जाति सालवी निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
4. पारस पिता टेका जाति सालवी निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
5. देउ पिता टेका जाति सालवी निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
6. मांगी बाई पिता नाना पत्नी राजुलाल जाति सालवी निवासी कोटडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द।
7. रामी बाई पुत्री नाना लाल जाति सालवी निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
8. शंकर पिता नाथु जाति बलाई निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
9. प्रेम पुत्री रूपा जाति बलाई निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
10. हीरालाल पिता रूपा जाति बलाई निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
11. राजु पिता रूपा जाति बलाई निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक 12/6/19

**—:निर्णयः—**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पतथरगढी की जाने हेतु इस बाबत प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा काकंरवा पटवार हल्का काकंरवा तहसील भूपालसागर की खाता संख्या 495 में स्थित आराजी संख्या 913 कुल किता 1 स्थित है उक्त अराजीयात के चारो तरफ अप्रार्थीगण की अराजीयात स्थित है तथा हम पक्षकारान के बिच में सीमा के निशानात नही है जिससे आय–दिन सीमा बाबत विवाद रहता है अप्रार्थीगण को कई बार कहा कि सीमा कें पुख्ता निशानात कराले लेकिन हर बार टालमबाजी करते है इस लिए आराजीयात जैर–बहस के चारो तरफ चारो दिशाओं कि पत्थरगढी कराना आवश्यक है। अतः पत्थरगढी कराने का आदेश फरमावें।



Scanned by CamScanner

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण बावजुद सूचना के हाजिर नही आने से उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई प्रार्थना पत्र पर बहस एक तरफा सुनी गई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार भूपालसागर को संबंधित प्रकरण में 500/– रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा काकंरवा पटवार हल्का काकंरवा तहसील भूपालसागर की खाता संख्या 495 में स्थित आराजी संख्या 913 कुल किता 1 की उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो तो पत्थरगढ़ी की जावें एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे तथा कमिश्नर फिस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें साथ हि यह सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हों। इस बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अभिषेक गोयल)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

Scanned by CamScanner